ब्यौरा
धिकारी
तथा
र्तन

न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :— सांवरमल रैगर, आर.ए.एस.

वाद संख्या :— 01/2022

1. संगीता देवी पत्नि गोपाल लाल सोनी जाति सोनी निवासी पारीका चौक बीकानेर

----प्रार्थी----

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

----अप्रार्थी-----

अन्तर्गत धारा 133,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :—

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण वकील प्रार्थी
2. पैरोकार राज, तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

— : निर्णय :—

दिनांक :— 29.08.2024

1. प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीनी के वाके रोही ग्राम नोखा उर्फ दैया के खसरा नंबर 178/4/2 में 32 बीघा भूमि चली आ रही है जिसकी खसरा गिरदावरी संवत 2078 की फोटो स्टेट प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीनी के नाम से वाके रोही ग्राम नोखा उर्फ दैया के खेत खसरा नंबर 178/4/2 में 32 बीघा भूमि चली आ रही है जिसमें प्रार्थीनी मौके पर संपूर्ण 32 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है परंतु रिकार्ड लट्ठा ट्रेस अनुसार प्रार्थीनी की कुल तादादी 32 बीघा भूमि में से महज 25 बीघा भूमि की ही तरमीम की गई है तथा प्रार्थीनी की 7 बीघा खातेदारी भूमि की रिकार्ड लट्ठा ट्रेस में कम तरमीम की गई है जिसमें प्रार्थीनी दुरूस्ती करवाकर रिकार्ड लट्ठा ट्रेस में अपनी संपूर्ण 32 बीघा खातेदारी भूमि का कब्जा काश्त अनुसार पुनः तरमीम दुरूस्ती करवाने की पूर्ण हकदार व अधिकारी है। प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 26.11.2021 को अधीनस्थ तहसील हाजा में उक्त 7 बीघा कम भूमि की तरमीम को दुरूस्त कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार संपूर्ण 32 बीघा भूमि का रिकार्ड नक्शा में पुनः तरमीम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रार्थीनी को रिकार्ड दुरूस्ती करने हेतु सक्षम न्यायालय में चारा जोही करने हेतु कहा गया। प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 26.11.21 को प्रार्थीनी श्रीमान पटवारी हल्का से मिली ग्राम नोखा उर्फ दैया के खेत खसरा नंबर 178/4/2 में 32 बीघा भूमि का रिकार्ड नक्शा में अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि परंतु रिकार्ड लट्ठा ट्रेस अनुसार प्रार्थीनी की कुल तादादी 32 बीघा भूमि में से महज 25 बीघा भूमि की ही तरमीम की गई है तथा प्रार्थीनी की 7 बीघा खातेदारी भूमि की रिकार्ड लट्ठा ट्रेस में कम तरमीम की गई है। रिकार्ड नक्शा में मौके से अलग तरमीम की गई है

(सांवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीनी की तरफ से विद्वान वकील श्री रणजीतसिंह निर्वाण ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी राज पैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम नोखा उर्फ दैया के ख0नं0 178/4/2 में 32 बीघा भूमि संगीता देवी पत्नि गोपाललाल सोनी साकिन पारीक चौक बीकानेर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम नोखा उर्फ दैया के मोमिया ट्रेस में ख0नं0 178/4/2 में 32 बीघा भूमि की तरमीम की गई है परंतु मोमिया ट्रेस में 25 बीघा भूमि अंकित है। मोमिया ट्रेस की छायाप्रति एवं राजपैरोकार के जवाब की प्रति संलग्न पत्रावली है। वकील प्रार्थीनी ने अपनी बहस में कहा कि हमारा कब्जा काश्त ग्राम नोखा उर्फ दैया के ख0नं0 178/4/2 में 32 बीघा पर है परंतु मातहत तहसीलदार द्वारा जो तरमीम की गई वो माप के अनुसार 25 बीघा ही आती है। अतः हमारे कब्जा काश्त अनुसार पुरानी तरमीम को निरस्त कर नवीन तरमीम के आदेश फरमाए जावें।

3. हमने प्रार्थना पत्र एवं उसके संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजो ग्राम नोखा दैया की खसरा गिरदावरी की प्रतिलिपि, नकल नक्शा की प्रति, वकील प्रार्थीनी की बहस एवं राजपैरोकार के जवाब का अवलोकन कर मनन किया। उक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि मातहत तहसीलदार द्वारा की गई तरमीम सही नहीं है। अतः पूर्व में ग्राम नोखा उर्फ दैया के ख0नं0 178/4/2 की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को ग्राम नोखा उर्फ दैया के ख0नं0 178/4/2 का पुनः मौका जांच कर नियमानुसार तरमीम करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.8.25 सरे इजलास सुनाया गया